



कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
जनपद-महाराजगंज



जल सारणी

फोन नं० 05523-222336
फैक्स नं० 05523-222336
E-Mail ID:- eecdmaharajganj123@gmail.com

पत्रांक:
सेवा में,

1636/ विविध-40 / 63 दिनांक: 16/07/2026

महत्वपूर्ण

जिलाधिकारी,
महाराजगंज।

विषय:-

विकास खण्ड घुघुली के पिपरिया कड़जहां ग्राम पंचायत में पेयजल योजना के निर्माण कार्य में ग्रामीणों द्वारा बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकास खण्ड घुघुली के ग्राम पंचायत पिपरिया कड़जहां में पानी की टंकी बनाने हेतु योजना स्वीकृत है। भूमि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान व राजस्व विभाग द्वारा पेयजल योजना के निर्माण हेतु गाटा संख्या-191/933, रकबा-0.194 हे० जमीन का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त है (छाया प्रति संलग्न)। पेयजल योजना के निर्माण हेतु उक्त कार्यस्थल पर खण्ड के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, ग्राम पंचायत के हल्का लेखपाल द्वारा ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में योजना निर्माण हेतु सम्बन्धित भूमि का पूर्व में पैमाईश कर सीमांकन किया गया था। जिस पर नलकूप 100 प्रतिशत, पम्प हाउस 80 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय लगभग 90 प्रतिशत तथा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य 3 तरफ पूर्ण किया जा चुका है। दक्षिण तरफ के बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य के समय ग्रामवासियों द्वारा अत्यधिक विवाद उत्पन्न करते हुये निर्माण कार्य को रोक दिया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक-1473/विविध-40/55 दिनांक 27.06.2026 द्वारा थानाध्यक्ष, थाना पुरैना महाराजगंज को पेयजल योजना के दक्षिण तरफ के बाउन्ड्रीवाल का लेखपाल के पैमाईश उपरान्त निर्माण के समय पुलिस बल की व्यवस्था कराने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित नायब तहसीलदार व लेखपाल की उपस्थिति में दिनांक 01.07.2026 को दक्षिण दिशा में निरीक्षण किया गया, जिसपर 8 फीट का रास्ता छोड़ते हुये कार्य कराने हेतु सहमति बनी। जिसके उपरान्त बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु खुदाई कर पी०सी०सी० कार्य कराया गया, किन्तु ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन से सम्पर्क करते हुये पुनः प्रस्तावित भूमि पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य करने से रोकवा दिया गया। फर्म द्वारा दिनांक 12.07.2026 को पुलिस बल एवं सम्बन्धित लेखपाल की उपस्थिति में सीमांकित की गयी भूमि पर कार्य कराने हेतु प्रयास किया गया किन्तु, पुलिस बल के जाने के बाद ग्रामीणों द्वारा कार्यों में बाधा उत्पन्न कर कार्य को बंद करा दिया गया। योजनान्तर्गत दक्षिण दिशा में स्थित बाउन्ड्रीवाल के नीव का खुदाई कार्य पूर्ण कर पी०सी०सी० कार्य हेतु वेडिंग कार्य प्रगति पर है।



सीमांकित भूमि पर निर्माणाधीन बाउन्ड्रीवाल

अतः उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि ग्राम पंचायत पिपरिया कड़जहां में पेयजल योजना के बाउन्ड्रीवाल निर्माण के समय राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन को उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्तावित भूमि पर योजना के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य सुचारु रूप से पूर्ण कराया जा सके।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रदीप कुमार कन्नौजिया)
अधिशाली अभियन्ता

पृ० सं० एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी(सदर), महोदय, महाराजगंज।
2. तहसीलदार, तहसील (सदर), जनपद महाराजगंज।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०इ०।
4. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स स्थविक-कोया (जे.वी.) महाराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि थानाध्यक्ष, थाना-पुरैना से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता



कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज

फोन नं० ०२२३-२२२३३४
फैक्स नं० ०२२३-२२२३३४
E-Mail ID: ecdmaharajganj123@gmail.com

पत्रांक:
सेवा में,

1473 / विधि-40 / 55

दिनांक: 27/06/2026

महोदय / सम्बन्ध

धानाध्यक्ष,
थाना-पुरैना,
जनपद-महाराजगंज।

विषय:- विकास खण्ड पुपुली के पिपरिया कड़जहां ग्राम पंचायत में पेयजल योजना के निर्माण कार्य में ग्रामीणों द्वारा बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकास खण्ड पुपुली के ग्राम पंचायत पिपरिया कड़जहां में पानी की टंकी बनाने हेतु योजना स्वीकृत है। भूमि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान व राजस्व विभाग द्वारा पेयजल योजना के निर्माण हेतु गाटा संख्या-191/933, रकबा-0.194 हे० जमीन का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त है (छाया प्रति संलग्न)। पेयजल योजना के निर्माण हेतु उक्त कार्यस्थल पर खण्ड के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, ग्राम पंचायत के हत्का लेखपाल द्वारा ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में योजना निर्माण हेतु सम्बन्धित भूमि का पूर्ण में पैमाईश कर सीमांकन किया गया था। जिस पर नलकूप 100 प्रतिशत, पम्प हाउस 80 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय लगभग 90 प्रतिशत तथा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य 3 तरफ पूर्ण किया जा चुका है। दक्षिण तरफ के बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य के समय ग्रामवासियों द्वारा अत्यधिक विवाद उत्पन्न करते हुये निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित लेखपाल द्वारा दिनांक 17.06.2026 को पुनः पैमाईश किया गया, किन्तु ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित भूमि पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य करने से रोक दिया जा रहा है।

अतः उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि ग्राम पंचायत पिपरिया कड़जहां में पेयजल योजना के बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य के समय पुलिस बल की व्यवस्था कराने का कष्ट करें, जिससे प्रस्तावित भूमि पर योजना के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य सुचारु रूप से कराया जा सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


अधिशासी अभियन्ता

प्र०सं० एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदय, महाराजगंज।
2. उप जिलाधिकारी(सदर), महोदय, महाराजगंज।
3. तहसीलदार, तहसील (सदर), जनपद महाराजगंज।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/ज०इ०।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स रिथविक-कोया (जे.वी.) महाराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि धानाध्यक्ष, थाना-पुरैना से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता